

19 JUL 2010

19 JUL 2010

19 JUL 2010

सगस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव,
सगस्त शासन सचिव/विश्विष्ट शासन सचिव,
सगस्त सिव्वांगीय आयुक्त एवं
सगस्त त्रिनामाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)

परिपत्र

विषय- लोक सेवकों के अपराधिक प्रकरणों में निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली के संबंध में निर्देश।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.8.2001 के क्रम में लोक सेवकों के निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली के सम्बन्ध में प्रकरणों को सम्बन्धित समिति के समक्ष पुनर्विलोकन किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. यह कि यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा शिखत लेते हुए रंगे हाथों किरफ्तार किया जावे तो सम्बन्धित लोक सेवक को बिना किसी अपवाद के तुरन्त निलम्बित किया जावे।
2. उपरोक्त बिन्दु 1 में वर्णित मामलों (Trap cases) के अलावा भ्रष्टाचार से संबंधित समस्त प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ सम्बन्धित लोक सेवक को निलम्बित किया जाना अनिवार्य होगा, यदि संबंधित लोक सेवक को पूर्व में ही निलम्बित न कर दिया गया हो।
3. हत्या, दहेज मृत्यु (dowry death), बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों (grievous offences) एवं नैतिक अक्षमता (moral turpitude) से संबंधित प्रकरणों में यदि पुलिस द्वारा लगाना न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया जाता है तो संबंधित लोक सेवक को तुरन्त निलम्बित करना अनिवार्य होगा, यदि संबंधित लोक सेवक को पूर्व में ही निलम्बित न कर दिया गया हो।

उपरोक्त तीनों प्रकरणों में लोक सेवक के सम्बन्ध में निलम्बन की तिथि से तीन वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हो एवं न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो ऐसे लोक सेवकों के प्रकरण बहाली के सम्बन्ध में गठित समिति के समक्ष रखे जायेंगे और समिति प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर बहाली हेतु अनिर्णय करेगी।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट दिव्या जाता है कि यदि प्रथम न्यायालय द्वारा किसी लोक सेवक को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे लोक सेवक को संभारणतः निलम्बन से बहाल कर दिया जाना चाहिए चाहे राज्य सरकार ने ऐसे प्रकरणों में न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील दाखल भी कर दी हो।


प्रमुख शासन सचिव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री/सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
 3. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
 4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 5. रक्षित पत्रावली।

शासन छप सचिव

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

No. JPD/CAO(ATR)/AO/Rules/F. 8 /D. 1613

Jaipur, Dated: 30.07-2010

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

- (1) The Chief Engineer (), JPD _____
- (2) The Dy. Chief Engineer (), JPD, _____
- (3) The Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur.
- (4) The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
- (5) The Chief Accounts Officer (IA / FM - W&M), JPD, Jaipur.
- (6) The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur,
- (7) The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
- (8) The Sr. Accounts Officer (), JPD, _____
- (9) The Sr. Personnel Officer /Personnel Officer (), JPD, Jaipur.
- (10) The Executive Engineer (), JPD, _____
- (11) The Dy. Secretary (GAD), JPD, Jaipur.
- (12) The Public Relation Officer, JPD, Jaipur.
- (13) The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer (), JPD, _____
- (14) The Asstt. Secretary/Estt. Officer (), JPD, Jaipur.
- (15) P.A. to the Chairman and Managing Director, JPD, Jaipur.
- (16) P.A. to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.


(M. P. Jain)

Accounts Officer (Rules)

Dy. CE (IT & CRP)
R R No. 1692 Date 18.8.10
XEN/IT/CRP/TA/Sr. P.O/PA/Acct/Estt.


Dy. CE (IT & CRP)